न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—20 / 2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सत्यनारायण पिता सोहनलाल जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी पुर हाल भीलवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी

बनाम

1. लादूलाल पिता रामचंद्र जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी अस्पताल के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मीलाल पिता रामचंद्र जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी अस्पताल के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. शंकरलाल पिता रामचंद्र जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी अठारियों का मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. प्रेमशंकर पिता रामचंद्र जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी अस्पताल के पास पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. सत्यनारायण पिता रामचंद्र जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी अस्पताल के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. किशन पिता रामचंद्र जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी अस्पताल के पास पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. शांति पुत्री पिता रामचंद्र जी ब्राह्मण (झाडोलिया) पत्नी मदनलाल जी शर्मा हाल निवासी मु.पो. रूघनाथपुरा वाया कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. राधेश्याम पिता भंवरलाल जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी बस स्टेण्ड के पास, स्टेडियम रोड़ पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. कृष्णगोपाल पिता भंवरलाल जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी अठारियों का मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
10. कमलादेवी पत्नी भंवरलाल जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी अठारियों का मोहल्ला, पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा
11. इन्द्रा पुत्री भंवरलाल जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी अठारियों का मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
12. प्रेमलता पुत्री भंवरलाल जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी अठारियों का मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
13. दिनेश पिता शिवनारायण जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी पुर हाल निवासी रामद्वारा रोड़ शिव मंदिर वाली गली. माणिक्यनगर भीलवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
14. विनोद पिता शिवनारायण जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी पुर हाल निवासी रामद्वारा रोड़ शिव मंदिर वाली गली माणिक्यनगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
15. गुलाब देवी पत्नी शिवनारायण ब्राहम्ण निवासी पुर हाल निवासी रामद्वारा रोड़ शिवमन्दिर वाली गली, माणिक्यनगर भीलवाड़ा (मृतक)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

16. कान्तादेवी पुत्री शिवनारायण जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी पुर हाल निवासी रामद्वारा रोड, शिव मंदिर वाली गली. माणिक्यनगर भीलवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
17. प्रमिलादेवी पुत्री शिवनारायण जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी पुर हाल निवासी रामद्वारा रोड़, शिव मंदिर वाली गली, माणिक्यनगर भीलवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाडा
18. महावीर प्रसाद पिता ऊंकारलाल जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी पुरानी पुलिस चौकी अठारियों का मोहल्ला, पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा
19. मुरलीधर पिता ऊंकारलाल जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी पुरानी पुलिस चौकी अठारियों का मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाडा
20. मनोजकुमार पिता ऊंकारलाल जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी पुरानी पुलिस चौकी, अठारियों का मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
21. चंदा देवी पत्नी उंकार लाल ब्राहम्ण निवासी पुरानी पुलिस चौकी अठारियों का मोहल्ला पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (मृतक)
22. पवन पिता गोपालकृष्ण जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी देवडूंगरी रोड़ पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
23. लाली पत्नी गोपालकृष्ण जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी देवडूंगरी रोड़ पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (मृतक)
24. गिरराज पिता सोहनलाल जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी चुंगी नाके के पास पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
25. विकास पिता ईश्वर प्रसाद जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी गौतम भवन के सामने बस स्टैण्ड पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
26. मंजूदेवी पत्नी ईश्वर प्रसाद जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी गौतम भवन के सामने बस स्टैण्ड पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
27. स्वाति पुत्री ईश्वर प्रसाद जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी गौतम भवन के सामने बस स्टैण्ड पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
28. पूजा पुत्री ईश्वर प्रसाद जी ब्राह्मण (झाडोलिया) उम्र वयस्क निवासी गौतम भवन के सामने बस स्टैण्ड पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 एवं 188–92 (क) रा.टि.ए.
वाद बाबत् विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री भैरूलाल बाफना
2. मो0 इमरान छीपा विपक्षी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 17/1/25

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भैरू लाल जी बापना द्वारा दिनांक 16.07.2018 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 20/2018 पर दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी एवं विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजी संख्या 3915, 4611, 4612, 4613, 4636, 4637 कुल किता 06 कुल रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है।

उक्त भूमि में राधादेवी पत्नी रामचंद्र जी ब्राह्मण, मांगीदेवी बेवा सोहनलाल जी भंवरलाल पिता सोहनलाल जी, शिवनारायण पिता सोहनलाल जी गोपालकृष्ण पिता सोहनलाल जी के नाम भी दर्ज है किन्तु इन खातेदारान का देहान्त हो चुका है जिससे इनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है।

उक्त आराजियात किता 6 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 17 व 22 से 28 का संयुक्त रूप से 3/7 हिस्सा, विपक्षी सं. 18 से 21 का संयुक्त रूप से 1/14 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 1 से 7 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है इसी हक हिस्से अनुसार पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उक्त वर्णित आराजियात में से आराजी नं. 4636 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नं. 3915 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा में से 2 बीघा 11 बिस्वा रकबे पर कुल 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर विपक्षी सं. 1 से 7 का संयुक्त कब्जा है एवं शेष आराजियात सं. 4611 4613 व 4637 किता 3 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा के साथ-साथ आराजी नं. 3915 के दक्षिणी तरफ के 16 बिस्वा रकबे पर कुल 5 बीघा 10 बिस्वा पर प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 28 का संयुक्त कब्जा है। आराजी नं. 4612 रकबा 2 बिस्वा गै.मु. खड्डा है जो प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 28 और विपक्षी सं. 1 से 7 के बराबर हिस्से से संयुक्त कब्जे में है। हमारे कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजियात नं. 4611 4613 4637 में हमने खड्डों को भरवाकर इनको समतल करवाया है और इनमें गार मिट्टी डलवाकर इनको काबिल काश्त बनवाया है और इन आराजियात के चारों तरफ हमने पत्थरों की कच्ची दीवारें बनवाई है तथा कुए को भी गहरा करवाया है तथा उक्त वर्णित आराजियात नं. 4611, 4613, 4637 की मेड़ों पर हमने नीम के पेड लगा रखे हैं जो अभी काफी बडे हो गये हैं जिसमें हमारे लाखों रूपये खर्च हो गये हैं।

उक्त आराजियात प्रार्थी एवं विपक्षीगण के शामलाती खाते में दर्ज रहने से उक्त भूमि का विकास करने एवं लगान जमा कराने में खातेदारान के मध्य विवाद बना रहता है जिससे उक्त आराजियात का का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर उक्त भूमि खातेदारान् के नाम पर अलग-अलग खातों में दर्ज करायी जाना आवश्यक है और प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 28 के 1/2 हिस्से की भूमि का खाता व लगान संयुक्त रूप से अलग कराया जावे व विपक्षी सं. 1 से 7 के 1/2 हिस्से की भूमि का खाता व लगान विभाजन से अलग कराया जाकर एवं विभाजन अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 28 के हिस्से में आने वाली भूमि पर संयुक्त रूप से कब्जा दिलाया जाना आवश्यक है और विपक्षी सं. 1 से 7 के हिस्से में आने वाली भूमि पर उनका अलग से कब्जा कराया जाना आवश्यक है ।

उक्त आराजियात में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 28 के हिस्से व कब्जेकाश्त की उक्त भूमि पर खड़ी फसल को मवेशियों से बचाने के लिये पूर्व में पत्थरों व थोहरों की बाड़ लगी हुई थी व कुछ स्थान पर केवल थोहर की बाड़ थी जिसको विपक्षी सं. 1 से 7 ने अनाधिकार हटा दिया जिससे हमारे कब्जे की भूमि में होने वाली फसलों को विपक्षी सं. 1 से 7 गांव के मवेशियों को घुसाकर नष्ट कराने लग गये जिससे विगत 3 वर्षों से हमारी भूमि में फसल नष्ट होती आ रही है जिससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। इस वजह से उस खाली जगह और अन्य खाली जगह पर जहां से मवेशी घुसने की संभावना है वहां पर पत्थरों की बाड़ कराने के लिये मौके पर वहीं पड़े हुए पुराने पत्थरों से पुनः बाड़ लगाना चाह रहे हैं किन्तु विपक्षी सं. 1 से 7 हमको अपने हिस्से व कब्जे की भूमि पर पत्थरों की बाड़ नहीं करने दे रहे हैं और मौके पर अपने परिवार की औरतों को आगे करके लडाई-झगडा व गाली-गलौच करते हैं और उनके परिवार की औरतें हमको मां-बहिन की गालियां निकालती है और हमारे पर पत्थरबाजी करती है जिससे फसल की सुरक्षा हेतु हम हमारे कब्जे की

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

उक्त भूमि पर बाड़ नहीं कर पा रहे हैं। विपक्षी सं. 1 से 7 हमको यह भी धमकी दे रहे हैं कि वे प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 28 के कब्जे की उक्त भूमि पर उनको बेदखल कर नाजायज कब्जा करेंगे और उसमें अपनी फसल बोऐंगे और प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 28 के कब्जे वाली भूमि में खड़े नीम के पेड़ों को भी इस वर्ष उनके द्वारा बनाई गयी पत्थरों की दीवार के बीच लेकर हड़प कर लेंगे। अगर विपक्षी सं. 1 से 7 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद नहीं किया गया तो वे हमको हमारे कब्जे की उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे जिससे हमें अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परिस्थिति में विपक्षी सं. 1 से 7 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि वे प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 28 के हिस्से व कब्जेकाश्त की भूमि पर पत्थरों की बाड़ करने से नहीं रोके तथा प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 28 को उनके कब्जेकाश्त की भूमि से बेदखल नहीं करे ना ही उसमें कोई दखलंदाजी या हस्तक्षेप करे और ना ही हमारे कब्जे की उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा करे और न उसमें फसल बोने की नाजायज हरकत करे और उक्त वर्णित संयुक्त भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द, अंतरित व भारित नहीं करे ।

विपक्षी सं. 8 से 28 मुझ प्रार्थी के परिवार के ही हैं और मुझसे छोटे है इस कारण से प्रार्थनापत्र पेश करने के लिये नहीं आ पाये हैं जिससे उनको खातेदार या उनके वारिस होने से पक्षकार बनाया गया है, उनका व मेरा हित समान है। इस कारण से उनको विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अगर ताफैसला वाद विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश से पाबंद नहीं किया गया तो वे मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 28 के कब्जेकाश्त की भूमि से हमें जबरन बेदखल कर देंगे और हमारे कब्जे की उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर उक्त वर्णित संयुक्त भूमि को खुर्द–बुर्द, अंतरित व भारित कर देंगे जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी एवं प्रार्थी का यह वाद पेश करना ही व्यर्थ हो जायेगा और पक्षकारान् के मध्य अनेक प्रकार की मुकदमेंबाजी बढ़ जायेगी ।

अतः प्रार्थना है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण सं. 1 से 7 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे ग्राम पुर में स्थित प्रार्थनापत्र की धारा सं. 1 में वर्णित आराजियात किता 6 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 28 के हिस्से व कब्जेकाश्त की भूमि पर पत्थरों की बाड़ करने से नहीं रोके तथा प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 28 को उनके कब्जेकाश्त की भूमि से बेदखल नहीं करे ना ही उसमें कोई दखलंदाजी या हस्तक्षेप करे और ना ही हमारे कब्जे की उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा करे और न उसमें फसल बोने की नाजायज हरकत करे और उक्त वर्णित संयुक्त भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे ।

विपक्षी संख्या 1, 2 व 4 लगायत 7 की ओर से मूलवाद में दिनांक 12/11/19 को वकालतनामा पेश किया गया तथा विपक्षीगण संख्या 3, 9 लगायत 12 बाद सम्मन नोटिस तामिल के उपस्थित नहीं होने के कारण विपक्षीगण संख्या 3, 9 लगायत 12 के विरूद्ध दिनांक 15.03.2019 को एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 8, 13 से लगायत 28 की ओर से मूलवाद में दिनांक 15/3/19 को वकालतनामा गोपाललाल गुर्जर का पेश किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 लगायत 8, 13, 14, 16 लगायत 20, 22, 24 लगायत 28 को जवाब के कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 31.01.2025 को जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 15, 21 व 23 की मृत्यु होने से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सख्या 15, 21 व 23 का नाम विलोपित किया गया।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:—

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

उपरोक्त तीनों बिन्दंओं का पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में निर्धारित है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद हेतु अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 द्वारा मौके पर वाद विवाद उत्पन्न करने एवं वादग्रस्त भूमि की खेती की सुरक्षा हेतु निर्मित पत्थर की कच्ची दीवारों को क्षतिग्रस्त किये जाने एवं जंगली जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त दीवारों से प्रवेश कर खड़ी फसलों को नुकसान किये जाने से उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर पूर्व से ही बहामी बंटवारा करवाया गया है। जिसके अनुसार वो मौके पर काबिज काश्त है। उक्त कब्जे काश्त में अनावश्यक दखंदाजी को रोकने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2018 को प्रार्थी के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। जिसे मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाना उचित होगा। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है और सहखातेदारी की भूमि में किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा सहखातेदार के विरूद्ध जारी नहीं की जा सकती है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जावे और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के उपरान्त मौके पर पक्षकारान् के मध्य किसी प्रकार का कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रिविटल बहस में निवेदन किया कि यदि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है तो मौके पर पुनः वाद विवाद उत्पन्न होंगे और अनावश्यक वादकारण माननीय न्यायायल के समक्ष आने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जावे।

प्रकरण में मूल वाद की पत्रावली में साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया जाकर प्राथमिक डिक्री की अंतिम बहस हेतु नियत है। प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी करने के समय पक्षंकारान् के मध्य उत्पन्न हुए विवाद का संबंधित फोटोग्राफ प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। उक्त फोटोग्राफ का अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार से कोई विरोध व्यक्त नहीं किया गया। अतः मौके पर नवीन वाद विवाद को उत्पन्न होन से रोकने हेतु प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है। साथ ही मूल वाद में वास्ते विभाजन प्राथमिक डिक्री जारी होकर वादग्रस्त भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री जारी होनी है, तब तक उभयपक्षकारान् को मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है जिससे वादग्रस्त भूमि के संबंध में अनावश्यक नवीन वादकारण उत्पन्न नहीं हो। अतएवं

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

—: आदेश :—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और उभयपक्षकारान् को मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 29 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सहखातेदारों में से किसी भी सहखातेदार की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान के पक्ष में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने हेतु स्वतंत्र होगा। अर्थात् विरासतीय नामान्तरण पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

17/6/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा